उत्तराचंल शासन

ऊर्जा विभाग

संख्याः 612/नौ–3–ऊ0/2001

देहरादूनःदिनांकः 28/9/ 2001

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा–87 के अधीन उत्तरांचल शासन,उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को,आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन केरूप में,ऐसे अनुकूलन तथा उपरान्तरण कर सकती है,जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली 1952 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा –86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली–1952 उत्तराचंल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली(उत्तराचंल अनुकूलन एवं उपान्तरण)

आदेश–2001

1– (1)यह आदेश ***उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली (उत्तराचंल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश ,2001*** कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2– उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी(ड्यूटी) नियमावली 1952 में जहां–जहां पर '***उत्तर प्रदेश***' आया है,वहां शब्द '***उत्तरांचल***' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3– मूल नियमावाली के नियम–3 (3) के तृतीय प्रस्तर के "द्वितीय प्रतिबन्ध..... भेजा जायेगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर को पढ़ा जाए:–

"द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि दिनांक 8–11–2000 के बाद उपभोक्ताओं से वसूल करने पर ऐसी ड्यूटी शुल्क,जो उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 के अधीन देय था ,लाइसैंसी या नियुक्त अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी (शुल्क) नियमावाली 1952 के अनुसार ही राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा "।

4– मूल नियमावली के नियम –3(7)में अंकित बिन्दु 1 से 4 तक को निम्नानुसार पढ़ा जाए:–

1–15 दिन की अवधि तक	रू0 50–00
2–15 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक	रू0 100–00
3–30 दिन से अधिक तथा 60 दिन तक	रू0 150–00
4–60 दिन से अधिक	रू0 200–00

5– मूल नियमावली के नियम–4 (1) को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः–

टैरिफ के अन्तर्गत एनर्जी की पूर्ति यदि मीटर मापित न हो तो लाइसैंसी या नियुक्त प्राधिकारी सम्भरित एनर्जी का आंकलन विद्युत निरीक्षक ,द्वारा अनुमोदित आधार पर करेगा।

अन्य व्यक्ति द्वारा बिना मीटर के यदि एनर्जी उपभुक्त की गई हो तो उसका आंकलन उप विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायेगा और अन्य व्यक्ति मीटर लगाये जाने के दिनांक तक उसका भुगतान नियमित रूप से प्रतिमाह उसी रीति से करेगा जैसा कि मीटर अधिष्ठापित (इन्सटाल्ड)होने की दशा में किया जाता है।

6– मूल निंयमावली के नियम–13 (ख) (1)को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः–

विवाद और अपील के मामलों में निम्नलिखित फीस लगायी जायेगीः–

क–नियम 13 के अधीन विवाद	रू0 100–00
ख–नियम 13 क के उप नियम–1(क)के अधीन	रू0500–00
ग–नियम 13 क अपील के लिये उप नियम–1(ख)के अधीन अपील के लिए	रू0 100–00
घ–नियम–13 क के उप नियम 1(ग)के अधीन अपील के लिए	रू0 500–00

7– मूल नियमावली के नियम –13 (ख)–(3) को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः–

ऊपर उप नियम(1) के खण्ड (ख) और खण्ड(घ) के अधीन देय फीस के 30 प्रतिशत को छोड़कर समस्त फीस,जिसका भुगतान अपील सुनने वाले प्राधिकारी कोअग्रिम रूप से सीधे किया जायेगा,सरकारी कोषागार में अग्रिम रूप से जमा की जायेगी और कोषागार चालान की प्रति सदैव विद्युत निरीक्षक को सूचित करते हुए अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

अपील के लिए भुगतान की गयी फीस की पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि की वापसी अपील प्राधिकारी के विवेकानुसार की जायेगी।

केशव देसिराजु
सचिव।

पृ0सं0:– /नौ–3–ऊ0/2001,तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद ।
2– सचिव, केन्द्रीय बिजली बोर्ड, सेवा भवन, आर0के0पुरम, नई दिल्ली ।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5– समस्त मंडलायुक्त, उत्तरांचल ।
6– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
7– विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल शासन हल्द्वानी, नैनीताल ।
8– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन, देहरादून ।
9– मुख्य महाप्रबन्धक,उ0प्र0 जल विद्युत निगम , यमुना भवन देहरादून ।
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(डा0एम0सी0जोशी)
संयुक्त सचिव

Steno
25.10.2001